न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 92/2024

प्रार्थीगण :–

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. पुरखाराम जाति सीरवी निवासी बेरा भीयावतों का थुम्बडिया बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. निर्मला पुत्री स्व.पुरखाराम पत्नी रतनलाल जाति सीरवी निवासी भाटों की ढीमडी वार्ड नं.3 बिलाडा जिला जोधपुर
3. मांगीदेवी पुत्री स्व. पुरखाराम पत्नी शिम्भुराम जाति सीरवी निवासी शिवनगरी विद्यालय के पास बेरा मालीमगरा बिलाडा जिला जोधपुर
4. रमादेवी पुत्री स्व.पुरखाराम पत्नी तुलछाराम जाति सीरवी निवासी मालकोसनी रोड बेरा बिल्दा बिलाडा जिला जोधपुर
5. सुमित्रा देवी पुत्री पुरखाराम पत्नी उरजाराम जाति सीरवी निवासी जैतीवास मार्ग भाकरानी कृषि फार्म बिलाडा जिला जोधपुर
6. सुशीला सीरवी पुत्री श्री पुरखाराम पत्नी नारायणराम जाति सीरवी निवासी घीसाराम का बेरा बिलाडा जिला जोधपुर
7. पनाराम पुत्र स्व. बीजाराम जाति सीरवी निवासी बेरा भीयावतों का थुम्बडिया बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :–** 7/08/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 414/9 रकबा 0.0405 हैक्टयर किस्म गै.मु.बेरा आई हुई है। प्रार्थीगण उक्त खसरे की चालु जमाबंदी में प्रार्थीगण के दर्ज हिस्से अनुसार रेकर्डेड सहखातेदार है। खसरा सं. 141/9 की भूमि पूर्व में भूराराम, पुरखाराम, पनाराम पिसरान बीजांराम कौम सीरवी की खातेदारी के रूप में दर्ज थी, जिसके संबंध में वजह सबूत जमाबंदी संवत 2065 से 2068 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। खातेदार पुरखाराम प्रार्थी सं. 1 से 6 के पिता थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। खातेदार भूराराम भी फौत हो चुके है। खातेदार भूराराम व पुरखाराम फौत होने पर फौतेदगी म्यूटेशन सं. 2933 सरपंच ग्राम

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत पिचियाक द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त फौतेदगी म्यूटेशन में भूराराम के वारिस को तो खातेदार दर्ज किया गया जो सही दर्ज किया गया परन्तु लिपिकीय भूलवश प्रार्थीगण सं. 1 से 6 व उनकी माता फौतेदगी म्यूटेशन सं. 3215 में भी हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थीगण सं. 1 से 6 को गैर खातेदार के रूप दर्ज कर दिया। उक्त फौतेदगी म्यूटेशन के आधार पर ही प्रार्थीगण सं. 1 से 6 को चालू जमाबंदी में गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया गया। प्रार्थी सं. 7 को भी हल्का पटवारी द्वारा चालु जमाबंदी के खतौनी के समय लिपिकीय त्रुटिवश गैर खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार चालू जमाबंदी में प्रार्थीगण सं. 1 से 7 को बिना किसी आदेश के लिपिकीय त्रुटिवश हल्का पटवारी द्वारा गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया गया। इसलिए प्रार्थी सं. 1 से 7 को लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज किये गये गैर खातेदार के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। प्रार्थीगण सं. 1 से 6 के पिता पुरखाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन 2933 द्वारा प्रार्थीगण सं. 1 से 6 व उनकी माता नोजीदेवी प्रत्येक को पुरखाराम के 1/3 हिस्से में से 1/7 वां हिस्सा यानि खसरा सं. 414/9 सम्पूर्ण भूमि में से प्रार्थी सं. 1 से 6 प्रत्येक को 1/21 वां हिस्सा निहित व दर्ज हुआ तथा प्रार्थी सं. 1 से 6 की माता नोजीदेवी फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन सं. 3215 द्वारा प्रार्थी सं. 1 से 6 प्रत्येक को नोजीदेवी के 1/21 वां हिस्से में से 1/6 प्रत्येक को 1/126 वां हिस्सा निहित व दर्ज हुआ। हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश चालु जमाबंदी के खतौनी के समय प्रार्थी सं. 1 से 6 को उनके पिता पुरखाराम फौत होने पर व उनकी माता नोजीदेवी फौत होने पर प्रार्थी सं. 1 से 6 का निहित हिस्सा का इन्द्राज अलग–अलग दर्ज किया, जबकि प्रार्थीगण सं. 1 से 6 को उनके पिता पुरखाराम फौत होने पर व उनकी माता नोजीदेवी फौत होने पर उनके निहित हिस्से को हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज अलग–अलग इन्द्राज के स्थान पर प्रार्थीगण सं. 1 से 6 के जोड़कर प्रत्येक का 1/18 वां हिस्सा बनता है। तथा जोडकर जो हिस्सा प्रार्थीगण सं. 1 से 6 का बनता है। उस अनुसार चालु जमाबंदी में प्रार्थी सं. 1 से 6 का हिस्सा शुद्ध किया जाना आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा में स्थित भूमि खसरा सं. 414/9 रकबा 0.0405 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में प्रार्थीगण के दर्ज गलत इन्द्राज गैर खातेदार के स्थान पर सही इन्द्राज खातेदार शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावे तथा साथ ही प्रार्थी सं. 1 से 6 के दर्ज अलग–अलग अशुद्ध हिस्सों के स्थान पर संयुक्त रूप से निहित प्रार्थी सं. 1 से 6 के प्रत्येक के शुद्ध 1/18वां हिस्सा दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर न्यायालय एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगणका प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 414/9 रकबा 0.0405 हैक्टयर किस्म गै.मु.बेरा चालू जमाबंदी प्रार्थीगण सहखातेदार है। खसरा सं. 414/9 की भूमि जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के अनुसार भूराराम, पुरखाराम, पनाराम पिसरान बींजाराम कौम सीरवी के खातेदारी के रूप में दर्ज थी। खसरा सं. 414/9 में खातेदार भूराराम व पुरखाराम के फौत होने पर जरिये विरासत नामा. सं. 2933 जो कि ग्राम पंचायत पिचियाक द्वारा स्वीकृत किया गया था जिसमें भूराराम के वारिसान को खातेदार दर्ज कर दिया लेकिन प्रार्थीगण 1 से 6 की माता नोजीदेवी को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीगण 1 से 6 की माता नोजीदेवी के फौत होने पर विरासत नामा. सं. 3215 भरे जाने पर भी प्रार्थीगण 1 से 6 को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। खसरा नम्बर 414/9 रकबा 0.0405 हेकटयर किस्म गै.मु. बेरा के रूप में यह भूमि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के आदेश क्रमांक/राजस्व/कुआं/08/379 दिनांक 30.03.98 को नियमन –(भूराराम, पुरखाराम, पनाराम पिसरान बींजाराम कौम सीरवी) को की गई थी। नियमन से लेकर आज दिन तक उक्त भूमि पर कब्जा उन्ही व्यक्तियों व उनके परिवार का है, जिन्हें यह भूमि नियमन की गई थी। इस भूमि का प्रयोजन कुऑ के रूप में लिया जा रहा है। नियमित की गई भूमि की प्रीमीयम राशि आदिनांक तक जमा है। प्रार्थीगण 1 से 6 के पिता पुरखाराम के फौत होने पर जरिये विरासत नामा. सं. 2983 द्वारा प्रार्थीगण 1 से 6 व उनकी माता बींजादेवी का 1/21वां हिस्सा दर्ज किया गया था। खातेदार नोजीदेवी के फौत होने पर नामा. सं. 3215 भरे जाने पर नोजीदेवी का 1/21 हिस्सा प्रार्थीगण 1 से 6 के हिस्से में समायोजित करते हुए सभी का 1/18 हिस्सा दर्ज करना था लेकिन तत्कालीन पटवारी द्वारा प्रार्थीगण 1 से 6 का 1/126 हिस्सा अलग से दर्ज कर दिया गया। जिससे प्रार्थीगण के खाते में दो हिस्से बन गये। जिसे समायोजित करते हुए प्रार्थीगण 1 से 6 का 1/18–1/18 हिस्सा शुद्ध किया जाना उचित है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा की सीमा में स्थित खसरा 414/9 रकबा 0.0405 हैक्टयर में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के दर्ज गलत इन्द्राज सहखातेदार के स्थान पर खातेदार व प्रार्थी सं. 1 से 6 के दर्ज अलग–अलग हिस्सों के स्थान पर संयुक्त रूप से निहित प्रार्थी सं. 1 से 6 के प्रत्येक के शुद्ध हि. 1/18, 1/18, 1/18, 1/18, 1/18 दर्ज किये जाने की रिपोर्ट पेश है।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाडा

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में प्रार्थीगण को खातेदार के स्थान पर गैरखातेदार तथा प्रार्थीगण 1 से 6 का 1/126 हिस्सा अलग से खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरे में लिपिकीय भूलवश प्रार्थीगण को गैरखातेदार व हिस्से में त्रुटि दर्ज कर दी गई। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा के खसरा नम्बर 414/9 रकबा 0.0405 हेक्टयर में जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में दुरूस्ती की जाकर प्रार्थीगण के गलत इन्द्राज गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज कर सही किया जावें तथा साथ ही प्रार्थी सं. 1 से 6 के गलत दर्ज हिस्सों के स्थान पर शुद्ध हिस्सा 1/18-1/18 दर्ज किये जाये एवं तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/08/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned with OKEN Scanner